

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम धर्मसिंह

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 174/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-9-25	<p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का कोट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का कोट के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम मूनापुरा पटवार हल्का कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 131, 132, 133 के खातेदार धर्मसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा क्रमशः 1/30, 1/30, 1/30 जाति जाट सा. बादसू खातेदार राहिन हिस्सा क्रमशः 1/30, 1/30, 1/30 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रोणीजाथान के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रोणीजाथान दुरुस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार मण्डावर की स्पष्ट अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मूनापुरा पटवार हल्का कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 131, 132, 133 के खातेदार धर्मसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा क्रमशः 1/30, 1/30, 1/30 जाति जाट सा. बादसू खातेदार राहिन हिस्सा क्रमशः 1/30, 1/30, 1/30 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रोणीजाथान के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रोणीजाथान दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26-9-2025 को सुनाया गया।</p>	

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर दौसा

मण्डावर दौसा